संख्या–1055/12–4–12–1799(172)/2010

प्रेषक,

बादल चटर्जी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक, कृषि,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग–4 लखनऊ : दिनॉक 26 नवम्बर, 2012

विषयः–वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में लिये गये निर्णयों को कृषि विभाग के लिपिकीय वर्ग के लिए लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के पत्र संख्या–वे0आ0–2–2105/दस–54 (एम)/2008टी0सी0, दिनॉक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा लिपिकीय संवर्ग के संबंध में लिये गये सामान्य निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या–1074/12–4–11– 1799(172)/2010, दिनॉक 23 अगस्त, 2011 द्वारा विभाग के लिपिकीय संवर्ग के लिए की गयी व्यवस्था को दिनॉक 22 दिसम्बर, 2011 से निम्नानुसार आंशिक रूप से संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) लिपिकीय संवर्ग के वरिष्ठ सहायक के ऐसे पद, जो अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500–7000 में थे और जिन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 अनुमन्य हुआ था तथा जिनका उल्लेख शासनादेश संख्या–1074/12–4–11– 1799(172)/2010, दिनॉक 23 अगस्त, 2011 के साथ संलग्नक–1 की तालिका–1 के क्रमांक–4 व तालिका–2 के क्रमांक–4 पर इंगित है, को प्रधान सहायक पदनामित करते हुए वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य कराया जाय।

प्रधान सहायक के इन पदों को शासनादेश संख्या–1074/12–4–11–1799(172)/2010, दिनॉक 23 अगस्त, 2011 द्वारा किये गये पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध हुए वरिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(2) शासनादेश संख्या–1074/12–4–11–1799(172)/2010, दिनॉक 23 अगस्त, 2011 द्वारा किये गये पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य कराया जाय।

प्रशासनिक अधिकारी के इन पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से शत्–प्रतिशत् पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

2. उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारकों का वेतन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2/841/दस–

–2–

2009–59(एम)/2008टी0सी0, दिनॉक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त के फलस्वरूप शासनादेश दिनॉक 23.08.2011 उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

4. ये आदेश वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2 के अ0शा0 [redacted] संख्या–वे0आ0–2–1222/दस /2012, दिनॉक 07.11.2012 को उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बादल चटर्जी)
विशेष सचिव।

संख्या–1055(1)/12–4–2012, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग–1/2, तीन प्रतियों में।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बादल चटर्जी)
विशेष सचिव।